पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2016 का अपराधिक विविध सं. 3004

फतुहा थाना कांड संख्या-345/2015, जिला- पटना

==========

अजय कुमार, पुत्र- रामचंद्र प्रसाद, निवासी-ग्राम- गोरहोचक, थाना- फतुहा, जिला- पटना

....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. महानिदेशक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना, बिहार

....विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

: श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता

विरोधी दलो के लिए : श्री प्रणव कुमार, ए.पी.पी.

सतर्कता के लिए : श्री अरविंद कुमार, एस.पी.एल. पी.पी.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 406, 420 और 120बी में संज्ञान लिया गया—याचिकाकर्ता को झूठे और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति मिली—याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच द्वारा निर्देशित माफी योजना की वैध विस्तारित अवधि के दौरान शिक्षक के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसलिए, याचिकाकर्ता लाभ के लिए हकदार है, अर्थात, किसी भी आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए—संज्ञान का आक्षेपित आदेश अपास्त और अभिखंडित कर दिया गया सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ—आवेदन अनुज्ञात किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख- 29-04-2024

2019 का आई.ए. सं. 1

वर्तमान याचिका में बताए गए कारण के लिए दिनांकित 10.02.2017/27.02.2017 को आदेश और संज्ञान को रद्द करने के लिए अभिवचनों और राहतों में संशोधन करने के लिए दायर की गई थी।

2. 2019 की आई. ए. संख्या 1 की अनुमति है और तदनुसार इसका निपटान किया जा रहा है।

2016 का आपराधिक विविध सं. 3004

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को सुना।

4. वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को 2015 के फतुआ थाना मामला संख्या 345 में पारित दिनांक 10.02.2017/27.02.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां पटना सिटी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था।

5. शिकायत याचिका के सार से, जैसा कि एफ.आई.आर. से प्रतीत होता है, यह है कि सूचना देने वाले ने 21.07.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 15459/2014 दिनांकित 18.05.2015 और सतर्कता जांच सं. बी.ए.सी. 08/2015 के आलोक में स्टेशन हाउस ऑफिसर, फतुहा थाना को संबोधित एक लिखित रिपोर्ट दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप

लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को नगर पंचायत, फतुहा की रोजगार इकाई समिति के समक्ष पेश किया गया था, जहां याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र एम. ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) के लिए है इतिहास विषय में प्रमाण पत्र सं. एमए (इतिहास)-00010-492, क्रमांक सं. 080051235, पंजीकरण सं. 252446, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 2010 के सत्र, प्रथम श्रेणी, को उपरोक्त विश्वविद्यालय शाखा से सत्यापन के बाद नकली पाया गया। इसके बाद सतर्कता जांच ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक महेश कुमार ने वर्तमान मामला दर्ज किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ में से एक ने 2015 के आदेश संख्या 15459 के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को एक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया कि किसी भी श्रेणी में कोई भी शिक्षक नकली और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति सुरक्षित करे, यदि नोटिस के 15 दिनों के भीतर अपना इस्तीफा जमा करता है, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा और ऐसे शिक्षक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और उस राशि की कोई वसूली भी नहीं की जाएगी, जो पहले ही भुगतान की जा चुकी है।

7. इस स्तर पर सी.डब्ल्यू.जे.सी. 15459/2014 दिनांकित 22.06.2015 में माननीय खंड पीठ के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा इस मामले की बेहतर समझ के लिए :-

"बिहार राज्य के सतर्कता विभाग के विद्वान वकील श्री रमाकांत शर्मा ने कुछ दलीलें दीं। उनके द्वारा इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी से हम पाते हैं कि सतर्कता विभाग की ओर से प्रगति संतोषजनक नहीं है, और हमें संदेह है कि क्या

हमारे द्वारा पारित आदेश का उपयोग स्पष्ट कारणों से अन्यथा नकली प्रमाणपत्रों को नियमित करने के लिए किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, बिहार की स्थिति ऐसी है कि किसी को कहाँ से शुरू करना है मुश्किल लगे। जब माननीय शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि लगभग पच्चीस हजार शिक्षकों को नकली प्रमाणपत्रों पर नियुक्त किया गया है, तो सतर्कता विभाग ने हमारे सामने यह तस्वीर प्रस्तुत की है कि छह हजार में से केवल तीन ही अयोग्य पाए गए हैं और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री दीनू कुमार ने हमारे ध्यान में लाया कि एक ओर राज्य ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कर्मियों की कमी का अनुरोध किया और दूसरी ओर 'बढ चला बिहार' कार्यक्रम को शामिल करते हुए शुरू किया गया है न केवल सभी श्रेणियों के सैकड़ों कर्मचारी, बल्कि प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कई करोड़ रुपये और बड़ी संख्या में वाहनों का खर्च भी करते हैं।

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नकली प्रमाण पत्र पर नियुक्त एक शिक्षक छात्रों के साथ-साथ समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब उसे चुनाव में कर्तव्य सौंपे जाते हैं।

धोखाधड़ी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हम पहले कदम के रूप में स्वेच्छा से आगे आने वाले व्यक्तियों को आम माफी देने का प्रस्ताव करते हैं।

हम राज्य को शिक्षा विभाग के माध्यम से इस आशय का एक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं कि यदि किसी भी श्रेणी के किसी भी शिक्षक ने नकली या मनगढ़ंत प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, तो नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपना इस्तीफा सौंप दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई

कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी-या तो अभियोजन के लिए या पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए। दूसरी ओर, यदि इस आम माफी के बाद किसी भी शिक्षक को नकली और धोखाधड़ी वाले प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त होती है, तो वह न केवल धोखाधडी आदि के अभियोजन के अधीन होगा, लेकिन उसे दी गई राशि की वसूली, यदि आवश्यक हो, तो उसकी संपत्तियों को बेचकर, उसे राज्य के संगठनों में किसी भी रोजगार, जो भी हो, से अयोग्य घोषित करने के अलावा की जाएगी।

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि यह सूचना दो दिनों के भीतर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि नोटिस की एक प्रति सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक स्कूल में प्रदर्शित की जाए।"

8. तर्क पर बहस करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की खंड पीठ के उपरोक्त निर्णय द्वारा दिए गए समय को अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न दिनांकित 14.07.2015 आदेश के माध्यम से दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो कि निम्नानुसार हैः-

"सतर्कता के अपर महानिदेशक और प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार इस अदालत के समक्ष पेश हुए हैं।

श्री ललित किशोर, विद्वान प्रधान अपर महाधिवक्ता और मामले में उपस्थित अन्य वकीलों को सुना।

यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों द्वारा जमा किए गए योग्यता के लगभग 100 प्रमाण पत्र अब तक नकली पाए गए हैं, और अन्य के संबंध में जानकारी संबंधित संस्थानों से प्रतीक्षित है। यह भी कहा गया है कि

अधिक संख्या में अधिकारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम सौंपा गया है। इस न्यायालय द्वारा दी गई माफी को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है।

एक अन्य पहलू यह है कि कहा जाता है कि काफी बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन को नकली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान जांच में लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी शामिल होगी और इसी तरह माफी भी। हम आज से माफी को, दो सप्ताह के लिए बढ़ाते हैं।"

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस्तीफा देने की अंतिम तिथि 29.07.2015 थी, जहाँ याचिकाकर्ता ने 24.07.2015 पर अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया था। यह बताया गया है कि सतर्कता विभाग और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बिहार दोनों ने अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्देश के अनुसार माफी योजना की वैध विस्तारित अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

10. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील राज्य के लिए विद्वान एपीपी द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त सतर्कता विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तुतिकरण और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया।

11. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां याचिकाकर्ता ने माफी योजना की विस्तारित समय अवधि के भीतर शिक्षक के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसलिए वह लाभ का हकदार प्रतीत होता है, यानी किसी भी आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, पटना शहर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित 2015 के फतुआ थाना मामला संख्या 345 में पारित की गई अपनी सभी परिणामी

कार्यवाहियों के साथ याचिकाकर्ता के लिए दिनांक 10.02.2017/27.02.2017 के संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

13. आवेदन की अनुमति है।

14. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।